भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5390
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षित और शुद्ध जल

5390. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए अगले तीन वर्षों के भीतर संरक्षित और शुद्ध पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक योजना विकसित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) महाराष्ट्र में और अकोला और वाशिम जिलों के विशेष संदर्भ में सभी परिवारों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट रणनीतियां और पहल क्या हैं;
(घ) कवर किए जाने वाले परिवारों की संख्या, विद्यमान जल आपूर्ति अवसंरचना और जल उपचार तथा वितरण प्रणालियों में प्रस्तावित निवेश के बारे में जिलावार डेटा क्या है; और
(ङ) परिवारों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक महाराष्ट्र में अकोला और वाशिम जिलों के विशेष संदर्भ में शुद्ध जल की आपूर्ति किए गए परिवारों की संख्या कितनी है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

इस दिशा में, भारत सरकार अगस्त 2019 से महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा (न्यूनतम 55 एलपीसीडी) में निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर नल जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (~17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 31.03.2025 तक, लगभग 12.33 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.56 करोड़ (80.38%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान *"जन भागीदारी"* के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ओ एंड एम पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ग): जल जीवन मिशन में केवल जलापूर्ति अवसंरचना के विकास की बजाय सेवा सुपुर्दगी पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो इसे पूर्व के कार्यक्रमों से अलग बनाता है। यह मिशन एक मांग आधारित, विकेन्द्रीकृत, समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम है। महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा निगरानी करने और उनकी सहायता के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, आयोजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करना, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दलों द्वारा फील्ड दौरे करना, आदि शामिल हैं। पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है।

(घ) और (ङ): अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, महाराष्ट्र में 48.44 लाख (33%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 31.03.2025 तक, पिछले पांच वर्षों से अधिक समय के दौरान लगभग 82.76 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025 तक, महाराष्ट्र में 146.79 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 131.20 लाख (~89.38%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

महाराष्ट्र में जेजेएम की स्थापना के बाद से अपने घरों में नल जल आपूर्ति प्राप्त करने वाले अकोला और वाशिम जिले के परिवारों सहित जिले-वार परिवारों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5390 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल की आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		31.03.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%
1	अहमदनगर	7,99,754	97,417	12.18	7,18,167	89.80
2	**अकोला**	**2,48,458**	**62,828**	**25.29**	**2,18,710**	**88.03**
3	अमरावती	4,32,311	2,14,499	49.48	4,27,516	98.89
4	बीड	4,72,732	82,249	17.4	3,64,679	77.14
5	भंडारा	2,56,684	82,426	32.11	2,23,421	87.04
7	बुलढाणा	4,48,293	1,93,121	43.08	4,25,184	94.85
8	चंद्रपुर	3,95,251	94,069	23.8	3,57,691	90.50
9	छत्रपति संभाजीनगर	4,88,084	2,06,238	42.25	4,21,516	86.36
10	धाराशिव	2,88,559	1,17,555	40.74	2,52,534	87.52
11	धुले	3,04,035	1,93,790	63.74	3,02,827	99.60
12	गढ़चिरौली	2,42,119	21,384	8.83	2,22,716	91.99
13	गोंदिया	3,07,730	62,859	20.43	2,50,994	81.56
14	हिंगोली	2,14,938	37,291	17.35	1,77,927	82.78
15	जलगाव	6,90,913	3,97,945	57.6	6,90,783	99.98
16	जालना	3,00,063	1,68,567	56.18	2,99,846	99.93
17	कोल्हापूर	6,84,162	3,07,469	44.94	6,81,440	99.60
19	लातूर	3,74,582	1,65,992	44.31	3,66,081	97.73
20	नागपुर	3,76,864	1,36,511	36.22	3,67,229	97.44
21	नांदेड़	5,36,765	92,718	17.27	4,83,062	90.00
22	नंदुरबार	3,62,721	52,665	14.52	2,29,690	63.32
23	नासिक	7,18,369	1,71,350	23.85	6,69,085	93.14
24	पालघर	4,52,043	41,349	9.15	3,15,797	69.86
25	परभणी	2,99,744	80,635	26.9	2,56,145	85.45
26	पुणे	8,95,107	3,42,698	38.29	7,64,668	85.43
27	रायगढ़	5,48,620	2,70,053	49.22	4,91,903	89.66
28	रत्नागिरी	4,48,354	1,46,474	32.67	3,86,286	86.16
29	सांगली	4,59,048	1,41,401	30.8	4,03,749	87.95
30	सातारा	6,18,518	2,87,355	46.46	5,70,642	92.26
31	सिंधुदुर्ग	1,93,373	69,991	36.19	1,60,700	83.10
32	सोलापुर	5,77,245	2,15,657	37.36	5,76,668	99.90
33	ठाणे	2,61,275	66,075	25.29	1,93,897	74.21
34	वर्धा	2,38,877	1,08,263	45.32	2,34,906	98.34
35	**वाशिम**	**2,20,115**	**50,012**	**22.72**	**1,97,723**	**89.83**
36	यवतमाल	5,22,884	64,926	12.42	4,15,792	79.52
	कुल	**1,46,78,590**	**48,43,832**	**33**	**1,31,19,974**	89.38

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस